कार्यालय नगरपालिका सादडी (जिला–पाली) राजस्थान

क्रमांक / न.पा.सा. / 2025 / 4567 - 4569 दिनांक 24/2/25

–:: ले आउट प्लान कमेटी बैठक सूचना ::–

श्रीमान संयुक्त सचिव–द्वितीय नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 / (नविवि / /3 / 2012 जयपुर दि. 08.01.2016 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 90 (क) एवं तत्धीन की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के तहत खातेदार **श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री जयंतीलाल, श्री राजेश पुत्र श्री जयंतीलाल तथा श्री विजय पुत्र श्री जयंतिलाल, जातिगण–जैन, निवासीगण–सादडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान** की राजस्व ग्राम सादडी के राजस्व ग्राम सादडी चक 1, 2 के खसरा संख्या 4152 / 1 रकबा 2400 वर्गमीटर, खसरा संख्या 6734 / 4147 रकबा 630 वर्गमीटर, खसरा संख्या 6732 / 4145, रकबा 436 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4144 रकबा 4600 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4149 रकबा 3400 वर्गमीटर, ,खसरा 4150 रकबा 2800 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4151 रकबा 2900 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4840 / 6615 रकबा 2400 वर्गमीटर अर्थात् कुल रकबा 19566 वर्गमीटर, आवासीय संपरिवर्तित भूमि पर आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई थी, जिसकी श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजन जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा ले आउट प्लान अनुमोदन हेतु तकनिकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः तकनिकी स्वीकृति अनुसार उक्त पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु दिनांक 25/2/2025 को दोपहर **03:00** बजे नगरपालिका कार्यालय में श्रीमति खुमी देवी बावडी (अध्यक्ष) नगरपालिका सादडी की अध्यक्षता में बैठक आंमन्त्रित की जानी है।

1. श्रीमति खुमी देवी बावरी, महोदया, न.पा.सादडी — अध्यक्ष
2. कनिष्ठ अभियंता, न.पा. सादडी — सदस्य

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादडी
दिनांक 24/2/25

प्रमाणित प्रतिलिपी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादडी (पाली)

क्रमांक / न.पा.सा. / 2025 / 4567 - 4569

प्रतिलिपी :– सूचनार्थ।

1. श्रीमति खुमी देवी बावरी, अध्यक्ष महोदया, न.पा.सादडी।
2. कनिष्ठ अभियंता, न.पा. सादडी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादडी

ालय नगरपालिका सादड़ी (जिला–पाली) राजस्थान

–:ले आउट प्लान कमेटी की बैठक कार्यवाही विवरण :–

आज दिनांक 25/2/2025 को निर्धारित समय दोपहर 3:00 बजे पालिका कार्यालय में ले आउट प्लान कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नानुसार उपस्थिति रहे।

01. श्रीमति खुमी देवी बावरी नगर पालिका सादड़ी (अध्यक्ष)
02. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सादड़ी (सदस्य सचिव)
03. कनिष्ट अभियन्ता नगर पालिका सादड़ी (सदस्य)

उपरोक्तानुसार ले आउट प्लान कमेटी के समक्ष अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से बैठक प्रारम्भ की गई की उपरोक्तानुसार गठित कमेटी में श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक भी है। परन्तु यह है कि वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा अपने तकनीकी राय प्रदान की गई है अतः इनकी उपस्थिति आवश्यक नही है। उपरोक्तानुसार ले आउट प्लान कमेटी का कोरम पूर्ण होने से निम्नानुसार वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर की तकनीकी राय अनुसार निम्न प्रकरण में विचार एवं निर्णय किया जाना है :–

प्रस्ताव सं 01:– श्रीमति पुष्पा पत्नी श्री जयंतीलाल, श्री राजेश पुत्र श्री जयंतीलाल तथा श्री विजय पुत्र श्री जयंतिलाल, जातिगण–जैन, निवासीगण–सादडी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान की राजस्व ग्राम सादडी के राजस्व ग्राम सादडी चक 1, 2 के खसरा संख्या 4152/1 रकबा 2400 वर्गमीटर, खसरा संख्या 6734/4147 रकबा 630 वर्गमीटर, खसरा संख्या 6732/4145, रकबा 436 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4144 रकबा 4600 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4149 रकबा 3400 वर्गमीटर, खसरा 4150 रकबा 2800 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4151 रकबा 2900 वर्गमीटर, खसरा संख्या 4840/6615 रकबा 2400 वर्गमीटर अर्थात् कुल रकबा 19566 वर्गमीटर, आवासीय संपरिवर्तित भूमि पर आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ रिवाईज लेआउट प्लान के अनुमोदन पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ :–

सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी के समक्ष खातेदार द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई, कि पूर्व में उक्त आवासीय योजना का ले आउट प्लान श्रीमान मुख्य नगर नियोजक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर की तकनीकी राय क्रमांक F.59ACTP/DLB/L.P/SADRI( )/18/3089 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा तकनीकी राय के साथ ले आउट प्लान प्राप्त होने पर उक्त प्रकरण में तत्कालीन समय पारित बैठक क्रमाक/ नपासा/2018/2798 दिनांक 01.10.2018 में 90क के तहत शर्त संख्या 01 से 15 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार ले आउट प्लान कमेठी द्वारा ले आउट प्लान का अनुमोदन किया गया था, ले आउट प्लान के अनुमोदन पश्चात् कार्यालय द्वारा प्रारूप 11 में (90क के आदेश जारी किये गये, प्रत्रावली में संलग्न नोटशिट अनुसार खातेदार से विकास शुल्क 100/– रु. प्रतिवर्गमीटर से कुल 41545.55 वर्गगज की कुल राशि 34,75000/–रुपये अक्षरे (चौतीस लाख पचत्तर हजार रुपये) जमा कराने हेतु सूचना प्रत्र जारी किया गया था जिस पर खातेदार को 20 प्रतिशत छुट की राशि 6,95000/–रु. की छुट प्रदान करते हुए 27,80000/– रु. जरीये रसीद संख्या 98/118 दिनांक 21.01.2019 को जरीये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्राप्त हुए, किन्तु पालिका द्वारा उक्त आवासीय योजना में पट्टे जारी नही किये गये, प्रार्थी द्वारा अपरिहार्य कारणो से नगरपालिका द्वारा उपरोक्तानुसार अनुमोदित ले आउट प्लान मे से खसरा नम्बर 3135 रकबा 0.2400 हेक्टर, खसरा नम्बर 4134 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 4133 रकबा 0.2900 हैक्टर, खसरा नम्बर 4146 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नम्बर 4147 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 4145 रकबा 0.1100 हैक्टर, खसरा

प्रमाणित प्रतिलिपी
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका,सादड़ी (पाली)

नम्बर 4142/1 रकबा 0.1150 हैक्टर, खसरा नम्बर 4152/1 रकबा 0.2400 हैक्टर, खसरा नम्बर 4141/1 रकबा 0.1400 हैक्टर कुल खसरा 09 कुल क्षेत्रफल 1.6550 हैक्टर भूमि को पुनः खातेदारी दर्ज करवाने हेतु लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर पालिका द्वारा खातेदारो द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अनुसार पुनः संशोधित ले आउट प्लान का अनुमोदन करने हेतु खातेदार द्वारा चाहे गये उक्त खसरान में पुनः कृषि भूमि दर्ज करने हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के तहत उक्त खसरान की भूमि को स्थानीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन विभाग की अधिसूचना एफ.3 (50)यूडीएच/3/2012 जयपुर दिनांक 31/05/2012 के अध्याय 3 (24) प्रतिवर्तन के अनुसार पालिका द्वारा उक्त प्रकरण में 07 दिवस की आपत्ति आमन्त्रण सूचना राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों मे प्रकाशन करवाया गया। पालिका द्वारा उक्त वर्णित खसरा नम्बरान को पुनः गैर कृषिक प्रयोजनार्थ से कृषिक प्रयोजनार्थ दर्ज करने बाबत् श्रीमान तहसीलदार महोदय देसूरी को पत्रांक 128 दिनांक 12.04.2024 से प्रेषित किया गया, जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा उक्त खसरान् की भूमि को राजस्व जमाबन्दी में खातेदार के नाम दर्ज किया गया, खातेदार द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अनुसार शेष रहे खसरो में संशोधित ले आउट प्लान की तकनीकी राय लिये जाने हेतु पालिका से प्रेषित श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर को पत्रांक 2060 दिनांक 29.08.2024 से प्रेषित किया जाये पर उक्त प्रकरण में जरीये ई–डाक 12.09.2024 को प्राप्त हुआ जिसके अनुसार निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग के आदेश क्रमांक 443 दिनांक 02.03.2021 व नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 16.05.2018 अनुसार नगरीय निकायो के ले आउट प्लानो का तकनीकी अनुमोदन क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजको से करवाये जाने का प्रावधान बताया गया, जिस पर पालिका द्वारा पत्रांक 2721 दिनांक 24.10.2024 को रिवाईज ले आउट प्लान की तकनीकी अनुमोदित राय बाबत पत्र प्रेषित किया जाने पर जिस पर श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा जरीये ई–डाक क्रमांक 11543100 दिनांक 04.11.2024 में उक्त प्रकरण में लगाये गये आक्षेपो के अनुसार पालिका द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 06 मे आक्षेपो की पुर्ति कर पत्रांक 3844 दिनांक 24.12.2024 से पुनः श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर भिजवाये जाने पर श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा उक्त प्रकरण में क्रम संख्या 01 से 10 की शर्तो की पालना किये जाने के निर्देशो सहित प्रस्तावित ले आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन किया गया जो कि जरीये ई–डाक क्रमांक 12940479 दिनांक 10.01.2025 से पालिका को प्राप्त हुआ है जो संलग्न पत्रावली है। अतः ले आउट प्लान कमेठी द्वारा उक्त रिवाईज ले आउट प्लान का अनुमोदन किया जाना है।

इस पर सदस्य सचिव द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी अनुसार ले आउट प्लान कमेठी द्वारा मुल पत्रावली का गहन अवलोकन कर बताया गया कि श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर से प्राप्त तकनीकी राय अनुसार खातेदारो से शर्तो की पालना हेतु शपथ पत्र लिया जाकर उक्त प्रकरण में संशोधित (90क) के आदेश जारी कर राजस्व जमावन्दी में नगरपालिका सादडी के नाम दर्ज खसरा अनुसार उक्त आवासीय योजना में जारी होने वाले पट्टो की सम्पूर्ण राशि जमा कर पट्टे जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित कर रिवाईज (संशोधित) ले आउट प्लान का अनुमोदन कर ले आउट पर अनुमोदन के हस्ताक्षर किये गये।

प्रमाणित प्रतिलिपी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सादडी

खुमी
अध्यक्ष
नगर पालिका सादडी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका सादडी

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर पालिका सादडी

RESIDENTIAL LAYOUT PLAN FOR KHASRA NO. 4152/1 , 6734/4147 , 6732/4145 , 4144 , 4149 , 4150 , 4151 , 4840/6615 TOTAL RAKBA 1.95 HECT.
VILLAGE - SADRI TEHSIL - DESURI DIST.- PALI (RAJ.)

N
W E
S

SCALE = 1" = 50'

प्रश्नगत भूमि का राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की सप्तम बैठक दिनांक 07.11.2016 को परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है, तत्पश्चात नगर पालिका सादडी दिनांक 13.01.2017 को आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये गये है, तथा निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज, जयपुर के पत्रांक 3089 दिनांक 15.05.2018 द्वारा प्रश्नगत खसरान भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया गया था, तत्पश्चात नगर पालिका सादडी के पत्रांक दिनांक 29.08.2024 मे उल्लेखित प्रस्ताव अनुसार संदर्भित खसरान भूमि का संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्रेषित फा के प्रत्युत्तर मे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर के राजकाज संदर्भ संख्या 10456139 दिनांक 12.09.2024 द्वारा पालिका को निर्देशित किया कि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के आदेश क्रमांक 443, दिनांक 02.03.2021 व नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 16.05.2018 अनुसार कार्यवाही करते हुये, नगरीय निकायो के ले-आउट प्लान का तकनीकी अनुमोदन क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक से करवाने हेतु निर्देशित किया गया है, कि पालना मे संदर्भित संशोधित ले-आउट मय तकनीकी विश्लेषण कर अनुमोदनार्थ हुते प्रेषित है।

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
जोधपुर क्षेत्र जोधपुर

KHASRA NO. 4142
KHASRA NO. 6733/4147
KHASRA NO. 4148
KHASRA NO. 4152
KHASRA NO. 4143
KHASRA NO. 4160
KHASRA NO. 4840
KHASRA NO. 4840/6616

ROAD 30'-0" WIDE
ROAD 40'-0" WIDE
SWM
MOBILE TOWER
PLANTATION
PARK
PARKING
INFORMAL SHOPS (8'x10') No of Shops⇒ 18
PEDESTRIAN PATHWAY 30' WIDE
ROAD SURRENDER AREA
AREA TO BE SURRENDERED FOR ROW (A'B')
AREA TO BE SURRENDERED FOR ROW (B'BCDD')
TO SADRI <<<
TO RANAKPUR >>>
S.H. 32

SITE /LAYOUT PLAN OF A TO B
LAND USE & AREA ANALYSIS CHECKED
[illegible] SHOWN AS

KHASRA AREA DETAILS

S.NO.	KHASRA NO.	RECORD AREA IN SQ MTR.
1	4152/1	2400.00
2	6734/4147	630.00
3	6732/4145	436.00
4	4144	4600.00
5	4149	3400.00
6	4150	2800.00
7	4151	2900.00
8	4840/6615	2400.00
	TOTAL	19566.00

AREA ANALYSIS

PARTICULARS	AREA SQ MTR.	%
RESIDENTIAL	9019.24	46.09 %
INFORMAL	390.54	1.99%
SWM/TOWER	115.10	0.59%
PARK/PLANTATION	3936.75	20.12%
ROAD	6104.37	31.21%
TOTAL	19566.00	100 %

Note :-

60 ' WIDE CULVERT HAS BEEN PROPOSED FOR APPROACH TO KHASRA NO 4840/6615 FROM MAIN SCHEME PART

1. सेटबैक्स मॉडल भवन विनियम-2020 के अनुसार रखे जावे।
2. एचटी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावे।
3. भूमि के नीचे पेय जल, भूस्वामित्व एवं न्यायिक वाद की जांच स्थानीय निकाय/पालिका/परिषद् स्तर पर अपेक्षित है।
4. सम्बन्धित सड़के,पार्क एवं खुला क्षेत्र स्थानीय निकाय/पालिका/परिषद् में निहित होगें।
5. सुविधा क्षेत्रों/सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जावे।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मौके पर पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जानी होगी।
7. योजना सीमा में किसी प्रकार की स्वीकृतियां/निषेध क्षेत्र/राजकीय भूमि आदि सम्मिलित नही हो, इसकी सुनिश्चितता न्यास/पालिका/परिषद् स्तर पर अनिवार्य है।
8. स्वीकृत योजना में भूखण्ड संख्या का अंकन व्यवस्थित रूप से किया जावे।
9. ले-आउट प्लान का नक्शे पर क्रियान्वयन उपरान्त ही नियमन संबंधित कार्यवाही की जावे।

एफ.25/2/2025 मीले आउट प्लान
संदर्भ में ले आउट प्लान का अनुमोदन
किया जाता।

खुमी
अध्यक्ष
नगरपालिका, सादड़ी

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी (पाली)

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, सादड़ी

ग्राम सादड़ी I के खसरा नं. 4152/1, 6734/4147, 6732/4145, 4144, 4149, 4150, 4151, आदि ABCDEFGHIJKLMNOPQR से प्रमाणित है।

सालुराम देवासी
पटवारी (भू.अ.) सादड़ी I
तह.देसूरी, जिला-पाली

ग्राम सादड़ी-2 के खसरा नं. 4840/6615 'ABCD' से प्रमाणित है।

महेन्द्र सिंह इन्दा
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल सादड़ी-2
तहसील देसूरी, जिला-पाली

(वीरेन्द्र सांखला)
अनुभाग अधिकारी

LAYOUT PLAN / BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 12940479 DATED 10-01-2025

P.J. Bambali R Bambali VJ Bambali